(FRENCH LEGISLATURE)

फ्रांसीसी व्यवस्थापिका

विश्व के अन्य देशों की भाँति फ्रांस के पंचम गणतंत्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रबंध किया गया है। फ्रांसीसी संसद के प्रथम सदन को राष्ट्रीय सभा (National Assembly) तथा द्वितीय सदन को सीनेट (Senate) के नाम से पुकारा जाता है। फ्रांसीसी पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुरूप राष्ट्रीय सभा का चुनाव ग्रेट ब्रिटेन आदि देशों की भाँति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि सीनेट (Senate) का चुनाव अमरीकी राज्यसभा के सदस्यों की भाँति अप्रत्यक्ष रूप से होता है।

सीनेट (Senate)

फ्रांसीसी सदन के उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है। फ्रांस के चतुर्थ गणतंत्र में इसका नाम 'गणतंत्र परिषद' था। पंचम गणतंत्र में इसका नाम बदलकर सीनेट कर दिया गया। गणतंत्र परिषद की तुलना में सीनेट की शक्तियों और स्थितियों में काफी वृद्धि की गई है। चतुर्थ गणतंत्र में यह बात कही जाती थी कि कानून का निर्माण राष्ट्रीय सभा द्वारा होगा, परंतु पंचम गणतंत्र के संविधान के अनु. 34 में स्पष्ट कहा गया है कि कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है। इस प्रकार, स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सभा के साथ-साथ सीनेट को भी कानून बनाने के अधिकार में समानता का दर्जा दिया गया है।

सीनेट का संगठन (Organization of the Senate) —

सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। संविधान के अनु. 24 में कहा गया है कि सीनेट का संगठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन

Scanned by TapScanner

के आधिपत्य था होगा। इस सदन में फ्रांस के प्राविधिक तथा विदेशों में रहनेवाले फ्रांसीसी नागरिकों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था की गई है 28 सितंबर 1980 को इसके प्रारंभिक चुनाव के समय इसके सदस्यों की संख्या 318 हो गई।

सदस्यों की योग्यताएँ (Qualifications of the Members) –

सीनेट के सदस्यों की योग्यताओं के संबंध में कहा गया है कि इसकी योग्यता एक संवैधानिक कानून द्वारा निर्धारित की जाएगी। कानून द्वारा इसके सदस्यों की आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है राष्ट्रीय सभा के उम्मीदवारों की तरह सीनेट के उम्मीदवारों को भी अपना एक प्रतिनिधि चुनना पड़ता है

कार्यकाल (Tenure) –

सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन 9 वर्षों के लिए होता है प्रत्येक तीसरे वर्ष एक-तिहाई (1/3) सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं और इनकी जगह नए सदस्यों का निर्वाचन होता है इस प्रकार यह एक स्थायी सदन है

पदाधिकारी (Officials) –

सीनेट का सबसे बड़ा पदाधिकारी सीनेट का सभापति होता है सभापति का निर्वाचन 3 वर्षों के लिए होता है चतुर्थ गणतंत्र की तुलना में पंचम गणतंत्र के संविधान में सीनेट के सभापति के अधिकार तथा पद की प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हुई है उसको निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं –

(1) राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सभा भंग करने के पूर्व सलाह देना।

(2) संकटकाल की घोषणा के पूर्व भी राष्ट्रपति को सलाह देना।

Scanned by TapScanner